



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-पी.बी.-अ.-10062022-236453
CG-PB-E-10062022-236453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944

No. 292]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISTHA 19, 1944

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

अधिसूचना

चंडीगढ़, 27 अप्रैल, 2022

सं. F. 2-6/2015-U.II.—पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के खण्ड 31 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार की स्वीकृति के साथ सीनेट ने निम्नलिखित नियमों को पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारी(पेंशन) नियमन, 1991 में संशोधन हेतु आगे बढ़ाया है, अर्थात्:-

1. पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) अधिनियम 1991, नियमन हेतु 1.2 (ए) निम्नलिखित अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“1.2 (ए) सभी कर्मचारी जो 1.1.2004 से पहले विश्वविद्यालय के तहत सेवा में शामिल हुए थे और वे कर्मचारी जो 1.1.2004 में भुगतान या उसके बाद विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं, पिछले संगठन में पेंशनभोगी पद और बिना किसी रूकावट के उचित माध्यम से आवेदन किया है, इन नियमों के प्रावधानों के तहत पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत समावेशित किया जाएगा जो इस शर्त के अधीन है कि पिछले नियोक्ता ने नियमन 3.14(i) में परिभाषित विश्वविद्यालय को यथानुपात पेंशन लाभ हस्तांतरित किया है।”

यजवेंद्र पाल वर्मा, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन III/4/असा./112/2022-23]

नोट:- प्रमुख नियम भारत के गजट भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2/93 G.R दिनांक 2 अक्टूबर 1993 देखें, संशोधित अधिसूचना संख्या 1/2006/G.R. दिनांक 23 फरवरी 2006 देखें अंततः संशोधित अधिसूचना संख्या CG-CH-E-08022021-225006 दिनांक 8 फरवरी 2021 देखें।

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH**NOTIFICATION**

Chandigarh, the 27th April, 2022

No. F. 2-6/2015-U.II.—In exercise of powers conferred by Section 31 of the Panjab University Act, 1947 (VII of 1947) the Senate with the sanction of the Government hereby makes the following Regulation further to amend the Panjab University Employees (Pension) Regulations, 1991, namely:-

1. In the Panjab University Employees (Pension) Regulations, 1991, for Regulation 1.2 (a), the following Regulation shall be substituted, namely:-

“1.2(a) all employees who joined service under the University before 01.01.2004 and those employees who have joined the University on or after 01.01.2004 and borne on Pensionable post in the previous organization and have applied through proper channel without any break shall also be covered under old pension scheme under the provisions of these Regulations subject to the condition that the previous employer have transferred the pro-rata pensionary benefit to University as defined in Regulation 3.14 (i)”

YAJVENDER PAL VERMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./112/2022-23]

NOTE: The Principal regulations were published in the Gazette of India under Part III, Section 4 vide notification No.2/93 G.R. dated the 2nd October, 1993, amended vide notification No.1/2006/G.R. dated the 23rd February, 2006 and lastly amended vide notification No.CG-CH-E-08022021-225006 dated the 8th February, 2021.